dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक– 3246/ 12-1 दिनांक , चकराता 23 मार्च 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय – **जनपद–देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत सिलखड्ड–कुनैन मोटर मार्ग के किमी0 5 से सैंज मोटर मार्ग निर्माण (लं0–5.00 किमी0) हेतु 5.3478 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो के लिये ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ – आपका पत्रांक–1030 दि0 18.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

1–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.3478 है0 सिविल भूमि के बदले 10.6956 है0 *सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में* हस्तान्तरण/नामान्तरण करा दिया गया है तथा क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु रू0 27,09,538.00 मात्र (रू0 सत्ताईस लाख नौ हजार पॉच सौ अड़तीस मात्र) की धनराशि एड–हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

2–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) हेतु रू0 35,13,505.00 मात्र (रू0 पैंतीस लाख तेरह हजार पॉच सौ पॉच मात्र) की धनराशि एड़–हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

3–शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।

4–क्र0सं0–1 एवं 2 के अनुसार एड–हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।

5–सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारे तथा Central Verge जहॉ पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग दी देख–रेख में Strip Plantation करने हेतु वचनबद्ध है।

6–प्रभाग द्वारा संशोधित District Profile भाग–2 के Additional Information के Sr. No.-2 में अपलोड कर दिया गया है।

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

7–The reasons of slow progress of CA;

The area provided for CA were found refractory and unsuitable for plantations. In some cases villagers were not agree to let the plantation be done. The area selected for CA were close to the villages. Villagers were using those CA areas for grazing cattles.

8–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Original FRA Certificate, geo referenced digital map की प्रति नोडल अधिकारी कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध करा दी गई है।

संदर्भित पत्र में वर्णित समस्त शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अक्षरशः पालन किया गया है/किया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 3246 / 12-1 तददिनॉकित

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार, मुख्यालय, कालसी को उनके पत्रांक–38/22सी दि0 19.03.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

NEW 3352

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

eepmgsykalsi@rediffmail.com
01360-275015

पत्रांकः /22सी दिनांकः /03/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता।

विषयः– **जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सिलिखड्ड–कुनैन मोटर मार्ग के कि.मी. 5 से सैंज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.3478 हे0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षे0का0 (उत्तर मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/94/2015/एफ0सी0/971 दिनांक 11.09.2017 के अनुपालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.3478 हे0 सिविल भूमि के बदले 10.6956 हे0 सैंज सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु. 27,09,538.00 (रु. सताईस लाख नौ हजार पांच सौ अड़तीस मात्र) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा कर दी गयी है। वृक्षारोपण हेतु 10.6956 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया है **(संलग्नक–1)**।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रु. 35,13,505.00 (रु. पैंतीस लाख तेरह हजार पांच सौ पांच मात्र) केम्पा कोष में जमा कर दी गई है **(संलग्नक–2)**।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध (प्रमाण–पत्र संलग्न) **(संलग्नक–3)** है।
4. कम सं0 के अनुसार एड–हॉक कैम्पा के खाते में शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं सभी निधियां रु. 62,23,043.00 (रु. बासठ लाख तेईस हजार तिरालिस मात्र) (ऑनलाईन पेंमेंट शीट संलग्न) जमा कर दी गई है **(संलग्नक–4)**।
5. सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा central verge जहाँ पर प्रयोक्ता

क्रमशः पृ0 2

अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation करने हेतु वचनबद्ध (प्रमाण–पत्र संलग्न) **(संलग्नक–5)** है।

6. शर्त सं0 6 का अनुपालन आपके स्तर (प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय) से किया जाना है।
7. शर्त सं0 7 का अनुपालन आपके स्तर (प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय) से किया जाना है। इस क्रम में आपका पत्रांक 478 / 12–1 चकराता दिनांक 08 अगस्त 2017 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है **(संलग्नक–6)**।
8. शर्त सं0 08 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सभी वनभूमि प्रस्ताव, सम्बन्धित मानचित्र, KML Shafe File एवं सम्बन्धित पत्राचार की हार्ड कॉपी मूल में Regional Office भारत सरकार को नोडल कार्यालय के पत्रांक 1720 / एफपी / यू.के. / रोड / 8984 / 14 देहरादून दिनांक 30.12.2016 के द्वारा प्रेषित कर दी गई थी जिसकी प्राप्ति पत्र संलग्न है **(संलग्नक–7)**।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार तीन प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी

पत्रांकः /22सी — दिनांकः /03/2018

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 मसूरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/03/18

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी

संलग्नक–1

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या– 98 /12ए–18 (2017–20)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 2017

विषय– जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सैंज मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से सिलखड्ड से कुनैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 5.3478 है0 वन भूमि के एवज में दोगुनी 10.6956 है0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

2011
22सी
27/12/17

उप जिलाधिकारी, त्यूनी
जनपद–देहरादून।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 377/पेशकार/भू0हस्ता0/2017 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के द्वारा जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सैंज मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से सिलखड्ड से कुनैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 5.3478 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम–सैंज–1, परगना–जौनसार बाबर, तहसील–त्यूनी, जनपद–देहरादून के खाता खतौनी संख्या 52, के खसरा नं0 588, रकबा 5.750 है0 तथा खसरा संख्या–589, रकबा 5.500 है0, इस प्रकार कुल रकबा 11.250 मध्ये 10.6956 है0, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

अतः आपके पत्र संख्या– 377/पेशकार/भू0हस्ता0/2017 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010, राजस्व अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम–सैंज–1, परगना–जौनसार बाबर, तहसील–त्यूनी, जनपद–देहरादून के खाता खतौनी संख्या 52, के खसरा नं0 588 मध्ये रकबा 5.6956 है0 तथा खसरा संख्या–589 मध्ये रकबा 5.00 है0, इस प्रकार कुल रकबा 10.6956 है0, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(एस0ए0मुरूगेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता को सूचनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, कालसी को उनके पत्र संख्या– 1280/22सी दिनांक 15 सितम्बर, 2017 के क्रम में सूचनार्थ।

Sri Maya Ram

COLLECTOR
जिलाधीश
देहरादून
DEHRADUN

8/12/17
जिलाधिकारी
देहरादून

26/12/17
18/12/17

<u>सं लग्नक–1(बी)</u>

तहसील : त्यूनी जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1 USU/ 22/12/2017

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति/ संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश, उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
					587	3.2500		
					588	5.7500		
					588/1041	0.0080		
					589	5.5000		
					590	3.2500		
					591	2.5000		
					591/1042	0.2750		
					591/1043	0.2710		
					591/1044	0.2710		
					592	4.2500		
					593	0.4000		
					594	0.0970		
					595	0.1120		
					597	0.0120		
					598	1.6250		
					60	0.5750		
					600	0.0700		
					601	0.3640		
					602क	0.1570		
					603	0.0350		
					604	0.0240		
					606	0.0320		
					61	0.1250		
					611	0.0160		
					613	0.0620		
					614	0.0530		
					615	0.0360		
					618	0.0530		
					621	0.0520		
					623	0.0120		
					624	0.1050		
					627	0.2050		
					628	0.0600		
					636	0.0200		
					64	0.0280		
					649	0.0120		
					651	0.0530		

सलग्नक - 2

	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
5	FP/UK/ROAD/8881/2014 construction of silikhund kunain motor road km 5 to Sainj motor road motor road	ROAD88812014970	11388812014970	11 Sep 2017	CA: 2709538/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 3513505/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 6223043/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On**: 17 Oct 2017 **Bank Name**: Corporation Bank **Mode of Payment**: NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On**: 27 Oct 2017 **Transaction Date**: 21 Nov 2017	Demand Letter Generated Challan

संलग्नक - 3

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सिलिखड्ड–कुनैन मोटर मार्ग के कि.मी. 5 से सैंज मोटर मार्ग कार्य।

एन0पी0वी0 की धनराशियों में वृद्धि होने की दशा में बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र

मननीय उच्च न्यायालय द्वारा यदि NPV की वर्तमान दरों में वृद्धि की जायेगी तो याचक विभाग बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को करने हेतु वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी

संलग्नक - 4

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण
प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
दूरभाष :– 0135–2608125 फैक्स :– 2608126 ई–मेल :–**urrda@yahoo.com**

पत्रांक 4571 /आई–3-20/यू0आर0आर0डी0ए0/12 दिनाँक 08 नवम्बर 2017

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
ओरियन्टल बैक ऑफ कॉमर्स,
रेसकोर्स, देहरादून।

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य मद खाता सं0 15262011001939 से Carporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jeliita Tawer mission road Bangalore 560027 के खाता सं0–15089 11388812014970 मे धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक निम्न सूची के अनुसार चैक सं0–245140 दिनांक 08.11.2017 धनराशि रु0 62.23.043.00 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसका भुगतान RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarachal SB/Ac No 15089 **11388812014970** Carporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा करने का कष्ट करे। RTGS हेतु कारपोरेशन बैक का विवरण निम्नानुसार है।

Name:- Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttrakhand

Name of Bank:- Corporation Bank

Address:- FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jeliita Tawer mission road Bangalore 560027
IFC Code:- CORP0000633
A/C No:- 15089 **11388812014970**

क्र सं	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि				
			क्षतिपूरक वृक्षारोपण	एन0पी0वी.	मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	मलवा निस्तारण	योग
1	सिलीखण्ड–कुनैन मोटर मार्ग के कि0मी0 5 से सैंज मोटर मार्ग	देहरादून	2709538.00	3513505.00	-	-	62,23.043.00
						Totals	62,23,043.00

संलग्नक–उक्त चैक

08/11/17
अधिशासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक. भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 II पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कालसी।

08/11/17
अधिशासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

सलंग्नक -5

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सिलिखड़्ड–कुनैन मोटर मार्ग के कि.मी. 5 से सैंज मोटर मार्ग कार्य।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो. सड़क के दोनों किनारों तथा Centre Verge पर वृक्षारोपण हेतु देय धनराशियों का भुगतान ग्राम्य विकास विभाग / इस खण्ड द्वारा यथासम्भव वन विभाग को कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक– 3246/ 12-1 **दिनांक , चकराता** 23 **मार्च 2018**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय – **जनपद–देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत सिलखड्ड–कुनैन मोटर मार्ग के किमी0 5 से सैंज मोटर मार्ग निर्माण (लं0–5.00 किमी0) हेतु 5.3478 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो के लिये ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ – आपका पत्रांक–1030 दि0 18.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

1–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.3478 है0 सिविल भूमि के बदले 10.6956 है0 *सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में* हस्तान्तरण/नामान्तरण करा दिया गया है तथा क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु रू0 27,09,538.00 मात्र (रू0 सत्ताईस लाख नौ हजार पॉच सौ अड़तीस मात्र) की धनराशि एड–हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

2–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) हेतु रू0 35,13,505.00 मात्र (रू0 पैंतीस लाख तेरह हजार पॉच सौ पॉच मात्र) की धनराशि एड़–हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

3–शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।

4–क्र0सं0–1 एवं 2 के अनुसार एड–हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।

5–सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारे तथा Central Verge जहॉ पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग दी देख–रेख में Strip Plantation करने हेतु वचनबद्ध है।

6–प्रभाग द्वारा संशोधित District Profile भाग–2 के Additional Information के Sr. No.-2 में अपलोड कर दिया गया है।

NEW 3351

सलग्नक – 06

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली. फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक– 478 / 12–1 दिनांक, चकराता 08 अगस्त 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय:– जनपद–देहरादून में पीएम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत सिलिखड्ड से कुनैन-सैंज मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 5 किमी0)।

संदर्भ :– 1–FP/UK/Road/8881/2014
2–आपका ई0डी0एस0 दि0 01.08.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण आख्या ऑनलाईन निम्नानुसार है –

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The revised NPV bill has now been subimitted in response to observation No. 3 of minutes of REC meeting held on 06.02.2017 but the NPV calculation is still submitted for dense forest area whereas, the density is shown as 0.2, which needs to be corrected	Revised NPV calculation in accordande with the density of vegetation details uploaded at serial no 4(I) in para-II. No correction to be required
2	In response to observation No. 4 of minutes of REC meeting held on 06.02.2017, the district profile data was required to be filled online in para-14 of Part-II Whereas, the same has been uploaded in Srl. No.-2 of additional document of Part-II May upload at the right place in consultation with NIC, New Delhi Further, reasons for slow progress of achievement of CA against targets stipulated may also be provided.	To upload Distict Profile at the designated place, this office has repetedly tried to contact NIC, New Dehli for consultation, but NIC, New Delhi was found not responding every time The response of NIC, New Delhi has been communicated to NIC, Dehradun also. It is therefore requested to upload the District Profile at your end. District profile detail is uploaded in additional information details at serial no -2 as para-II **The reasons of slow progress of CA:** 1-The area provided for CA were found refractory and unsuitable for plantations. 2-In some cases villagers were not agree to let the plantation be done. The area selected for CA were close to the villages. Villagers were using those CA areas for grazing cattles.

अतः उपरोक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण आख्या ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

NEW 3185

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

7–**The reasons of slow progress of CA;**
The area provided for CA were found refractory and unsuitable for plantations. In some cases villagers were not agree to let the plantation be done. The area selected for CA were close to the villages. Villagers were using those CA areas for grazing cattles.

8–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Original FRA Certificate, geo referenced digital map की प्रति नोडल अधिकारी कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध करा दी गई है।

संदर्भित पत्र में वर्णित समस्त शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अक्षरशः पालन किया गया है/किया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 3246 / 12-1 तददिनॉकित
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार, मुख्यालय, कालसी को उनके पत्रांक–38/22सी दि0 19.03.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

7–The reasons of slow progress of CA;

The area provided for CA were found refractory and unsuitable for plantations. In some cases villagers were not agree to let the plantation be done. The area selected for CA were close to the villages. Villagers were using those CA areas for grazing cattles.

8–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Original FRA Certificate, geo referenced digital map की प्रति नोडल अधिकारी कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध करा दी गई है।

संदर्भित पत्र में वर्णित समस्त शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अक्षरशः पालन किया गया है/किया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 3246 / 12-1 तददिनॉकित

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार, मुख्यालय, कालसी को उनके पत्रांक–38/22सी दि0 19.03.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

NEW 3352

सलग्नक – 07

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1720 /FP/UK/ROAD/8884/1A देहरादूनः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः– **Forwarding of soft copy of CA Map with shape file.**

संदर्भः–ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित ऑन लाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव जो कि भारत सरकार में विचाराधीन हैं, से सम्बन्धित मानचित्र, **Kml, shape file** साफ्ट कापी एवं प्रकरणों में लगी आपत्तियों का निराकरण कर मानचित्रों एवं सम्बन्धित पत्राचार की हार्ड कापी मूल में संलग्न है।

1– Proposal no-FP/UK/ROAD/8884/2014 Construction of Kharsi to Khatwa M/R.

2- Proposal no-FP/UK/ROAD/8881/2014 Construction of silikhund kunain motor road km 5 to Sainj motor road.

3- Proposal no-FP/UK/ROAD/7713/2014 Construction of km 5 of Mandrath birnar kathiyan Motor road to Purtar MR.

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

Received
30/12/16
(RO office)

Sri Maya Ram
Keep in record

Sr. Engr
3/1/2017

Form-1
Government of Uttarakhand

OFFICE OF THE DIST. MAGISTRATE
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Letter No.: /

Date: 3/12/2014

TO WHOMESOEVER IT MAY CONCERN

Incompliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98FC (pl) dated 3rd August, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers (reorganization of forest rights) at 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposal read with MoEF letter dated 5th of Feb. 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **5.3478 hect.** Of forest land proposed to be diverted in favour PWD Uttarakhand for new road construction in Dehradun district falls within jurisdiction of **Kharoda & Kunain** village in **Tiuni** Tehsil.

It is further certificated that-

(a). The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire **5.3478 hect.** of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee(s) are enclosed as annexure............

(b). The division of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c). The Proposal does not involved recognized rights of primitive tribal groups and the agricultural communities.

Date: 3.12.14

Signature
(Full name and Official Seal of District Collector)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक   दिनांक 3.12.14

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 3.12.14 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत **सिल्लीखड्ड–कुनैन से सैंज मोटर मार्ग** के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **5.347 हैक्ट0** भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–त्यूनी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी–त्यूनी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **5.347 हैक्ट0** भूमि जो कि वन विभाग के मुण्डाली रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी–त्यूनी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(रामअवतार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

(दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून

(चन्द्रेश कुमार)
जिलाधिकारी, देहरादून

पृ0स0 /डी0एल0आर0सी0/ दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, हरिद्वार (मुख्यालय–कालसी)

(चन्द्रेश कुमार)
जिलाधिकारी, देहरादून

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क यौजना के अन्तर्गत सिलखड्ड कुनैन मोटर मार्ग के कि0मी0–5 से सैंज मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई– 6.125 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, त्यूनी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, जौनसार बाबर

उपखण्ड कासली परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~कठंग मोलगा से सिराड़~~ सिलखड्ड कुनैन से सैंज मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य (लम्बाई 6.125 कि0मी0). हेतु (4.500 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.8478 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 5.3478 हे0 वन भूमि) का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– त्यूनी) की दिनांक –18/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [signature] उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री [signature] उपजिलाधिकारी	त्यूनी		अध्यक्ष	[signature]
2–	श्री [handwritten] उप प्रभागीय वनाधिकारी	[handwritten]	चकराता	सदस्य	
3–	श्री सरदार सिंह चौहान सहायक समाज कल्याण अधिकारी		चकराता	सदस्य/सचिव	[signature] A.S.W.O. चकराता
4–	श्री ज्ञानचन्द डिमरी बी0डी0सी0 क्षेत्र	कुनैन		सदस्य	[signature]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि आरक्षित वन भूमि /सिविल एवं सोयम वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिलखड्ड कुनैन मोटर मार्ग के कि0मी0–5 से सैंज मोटर मार्ग परियोजना हेतु 5.3478 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता, वन प्रभाग चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड त्यूनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिलखड्ड कुनैन मोटर मार्ग के कि0मी0– 5 से सैंज मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 5.3478 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

[signature]
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–त्यूनी
जनपद –देहरादन

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.त्यूनी
जनपद– देहरादून

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिलखड्ड कुनैन मोटर मार्ग के कि0मी0–5 से सैंज मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।(लम्बाई–6.125 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –खरोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत सिलखड्ड कुनैन मोटर मार्ग के कि0मी0–5 से सैंज मोटर मार्ग के नव निर्माण परियोजना हेतु (आरक्षित वन भूमि 4.500 हे0, सिविल सोयम भूमि. 0.8478 हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 5.3478 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खरोड़ा द्वारा दिनांक.–15/9/14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खरोड़ा, सैंज के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड-चकराता,देहरादून

ज्ञानचन्द डिमरी
क्षेत्र पंचायत सदस्य कुनैन
वि0ख0-चकराता, (दे0दून) उत्तराखण्ड

प्रधान ग्राम पंचायत
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत खरोड़ा
वि0ख0 चकराता (दे0दून)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 15/9/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– खरोड़ा, कुनैन

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	करमचन्द डिमरी	[illegible]
2	प्यारु दत्त डिमरी	[illegible]
3	सहजराम डिमरी	सहजराम
4	भगतराम खरोड़ा	भगतराम
5	पातीराम	पातीराम
6	प्रतापसिंह डिमरी ग्राम कुताड़	प्रतापसिंह डिमरी
7	कुंवाराम " "	कुंवाराम
8	सियाराम " "	
9	जगतराम खरोड़ा	Jagat Ram
10	कृपा लकडिहारा ग्राम सैंज कुनैन	[illegible]
11		
12	ओंतार सिंह	
13	सरदार सिंह	[illegible]
14	सुलतानसिंह कुताड़ सैंज कुनैन	सुलतानसिंह
15	धनीराम कुताड़	धनीराम
16	साधीराम कुताड़	साधीराम
17	लक्षीराम	लक्षीराम
18	मुरलाराम डिमरी	मुरलाराम डिमरी
19	चरणदास	चरणदास
20		

21 सियाराम खरोड़ा — सियाराम

22 तारा दत्त खरोड़ा — तारा दत्त

23 कृपाराम खरोड़ा — कृपाराम

24 पदमसिंह कुनैन

25 दरबानसिंह जवाना कुनैन

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधि. चकराता, देहरादून

प्रधान ग्राम पंचायत खरोड़ा
ह0 Tikam
वि0ख0 चकराता (दे0दून)

26 [illegible] कुनैन

27 [illegible]

28 अर्जुनसिंह

29 रामसिंह कुनैन

30 मातवरसिंह सैंज कुनैन

31 अमरसिंह सैंज कुनैन

प्रधान ग्राम पंचायत कुनैन
ह0 सूलोदेवी
वि0ख0 चकराता (देहरादून)

OFFICE OF THE DIST. MAGISTRATE
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Chandresh Kumar**, I.A.S., District MAGISTRATE, **Dehradun** on ...3.12.14... at 11 am at **Dehradun** in which the application claiming rights in main area measuring **5.3478** Hect. for the construction of **Silikhudd-Kunain to Sainj Motor** Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Tyuni** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims wer found to have been made & hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradun

Date: 3.12.14

District MAGISTRATE
Dehradun